न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 15/2017

बउनवान

नन्दलाल नागर आत्मज श्री हीरालाल आयु 55 वर्ष जाति–धाकड
निवासी–डाबरिया तहसील–अटरू पेशा–उचित मूल्य दूकानदार
ग्राम–डाबरिया तहसील अटरू, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 29.08.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 12.07.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अपीलांट ग्राम डाबरिया ग्राम पंचायत मुण्डला बिसोती तहसील अटरू लाईसेंस नं0 11/94 मशीन पोस नं0 8647 अनुज्ञाधारी है जिसका दिनांक 30.1.2017 को आदेश कमांक 17/68870–83 के अनुकम में श्री नंदकिशोर मीणा मुण्डला बिसोती को उसकी दुकान का सारा स्टॉक संभालने का आदेश हुआ जिसकी अपीलांट ने पालना दिनांक 30.1.2017 को हीं कर रसीद श्री नंदकिशोर मीणा से प्राप्त की। अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रकरण 213/17 दर्ज किया था जिसमें अपीलांट का पूर्व का एटचमेंट निरस्त करने का आदेश को पत्र कमांक रसद/अभि./17/4038 दिनांक 3.7.2017 से बहाल कर, नन्दकिशोर मीना डीलर से अवशेष स्टॉक कीमतन प्राप्त करने व पोस मशीन वापस प्राप्त करने के आदेश पारित किये। इस पर पुनः अपीलांट ने दुकान की प्रतिभूमि रूपये 500/–रूपये चालान द्वारा जमा करा दी। फिर दिनांक 09.07.2017 को नंदकिशोर ने स्टॉक निल बताकर पोस मशीन वापस अपीलांट को संम्भला दी। इसके पश्चात् दिनांक 12.7.2017 के आदेश से अवशेष स्टॉक व पोस मशीन नंदकिशोर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मुण्डला बिसोती को सम्भलाने के आदेश पारित किये गये। इसी आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है।

[illegible]नस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.7.20[illegible] सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट कम–2 द्वारा दिनांक [illegible] आदेश के बाद अचानक दिनांक 12.7.2017 को उक्त आदेश से खण्ड 8 क 9 [illegible] शक्तियों का दुरूपयोग कर अकारण प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश [illegible] में भारी भूल की है। दिनांक 03.7.2017 को प्राधिकार बहाली के आदेश के प[illegible]17 को किन कारण से प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश दिया है जिसक[illegible] नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के संबध में ना तो कोई नोटिस दिया गया ना हीं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लाईसेंस दिनांक 03.07.2017 को बहाल करने के बाद दिनांक 12.07.2017 को पुनः आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को क्या संज्ञा दी जा सकती है। यह आदेश किसी के राजनैतिक दबाव में किसी विशेष पर मेहरबानी करने के लिये किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक सिद्धान्तों एवं अधिकारों की अवहेलना की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे तथा खाद्यान्न, तेल व पोस मशीन वापस दिलाये जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम डाबरिया ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती तहसील अटरू का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र दिनांक 03.07.2017 को बहाल कर, पोस मशीन व स्टॉक दिनांक 09.07.2017 को उचित मूल्य दूकानदार नन्दकिशोर मीणा,मूण्डला बिसोती से प्राप्त कर, अपीलांट ने कार्य प्रारम्भ किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाव में ग्रामवासियान् की झूठी शिकायत कर, अकारण अपीलांट को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये तथा स्टॉक व वितरण की जॉच किये बिना अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं कर, दिनांक 12.07.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है।

अपीलांट ने कोई अनियमितता नहीं की है। उसके वितरण व स्टॉक की कोई जॉच भी प्रवर्तन निरीक्षक ने नहीं है, मात्र सरंपच व ग्रामवासियान् की झूठी शिकायत व कयास मात्र से तीन दिवस पश्चात् हीं प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां ने न्यायिक सिद्धान्तों व अधिकारों का दुरूपयोग कर, प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जबकि प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलांट को अनियमितता किये जाने के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था तथा प्रवर्तन निरीक्षक या स्वंय के स्तर पर अनियमतिता की जॉच कर, पुष्टि करना चाहिये था। अनियमितताऐं प्रमाणित होने पर हीं उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कार्यवाहीं राजनैतिक दबाव पर एकतरफा की है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.2017 तत्काल निरस्त किया जाकर, अपीलांट को प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर, सप्लाई दिलाये जाने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि ग्रामवासियान् की अपीलांट डीलर के विरूद्व लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि डीलर द्वारा अनियमितताऐं बरती जा रहीं है, ग्रामीणों से गलोच करता है तथा दुर्व्यवहार रखता है तथा राशन समय पर नहीं देता है जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भी दिनांक 12.7.2017 को मौके पर जॉच की गयी थी। डीलर का ग्रामवासियान् व उपभोक्तओं से व्यवहार ठीक नहीं रहा है जिसकी पुष्टि होने पर न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। डीलर को पूर्व में भी तीन बार प्राधिकार पत्र निलंबित/निरस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जा चुका है। फिर में डीलर के कार्य में कोई सुधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र अकारण व बिना सुनवाई किये एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये, निरस्त किया है। जबकि उसके स्टॉक व खाद्यान वितरण में कोई अनियमितता नहीं है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रसद का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त हीं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्रामवासियान् द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 11.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः शिकायत की है डीलर द्वारा वितरण कार्य में अनियमितता बरती जा रहीं है। ग्रामवासियान् को डीलर समय पर खाद्य सामग्री वितरण नहीं करता है तथा गालीगलोच करता है। जिसकी शिकायत के आधार पर, इसकी जॉच प्रवर्तन निरीक्षक, अटरू से करायी गयी जिससे पाया जाता है कि ग्रामवासियान् डीलर की वितरण व कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेखित निर्णय के अवलोकन से पाया जाता है कि डीलर की कार्यप्रणाली उचित नहीं रहीं है। डीलर को पूर्व में गाली गलोच व दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति के कारण तीन बार निलंबित व बहाल किया जा चुका है। किन्तु डीलर के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रहीं है। जैसा कि विदित हुआ है कि अपीलांट का प्राधिकार दिनांक 03.07.2017 को बहाल हुआ है फिर भी दिनांक 11.07.2017 को अपीलांट के विरूद्व ग्रामवासियान् द्वारा पुनः शिकायत की गयी है। इससे प्रमाणित होता है कि अपीलांट ग्रामवासियान् व उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार रखता है तथा ग्रामवासियान् को खाद्य सामग्री समय पर नहीं देता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व जॉच कर, अनियमितता प्रमाणित होने के उपरान्त हीं आदेश दिनांक 12.7.2017 से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को सरे इजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डी0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official